

UPFD010051342023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-0000550/2023
श्रीमती पुष्पा देवी बनाम लकी आदि।

दिनांक 04-07-2023

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश में नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० मातादीन, निवासी श्रीपाल कॉलोनी, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद की ओर से विपक्षीगण लकी, शिवम, प्रिंस व अमन पुत्रगण हाकिम सिंह, समस्त निवासीगण श्रीपाल कॉलोनी, थाना रामगढ़, जिला फिरोजाबाद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया के घर से सटा हुआ लकी पुत्र हाकिम सिंह, जो शातिर किस्म का, गुण्डा, दबंग प्रवृत्ति का लड़का है, प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री राज कुमारी, उम्र करीब 15 को बुरी नजर व गलत इरादे से देखकर अश्लील हरकतें करता है। दिनांक 18-05-2023 को समय 07:00 बजे शाम, जब प्रार्थिया व उसका बेटा घर पर नहीं थे, तभी लकी बुरी नजर व गलत इरादे से प्रार्थिया के घर में घुसकर प्रार्थिया की पुत्री राज कुमारी के साथ बुरा काम करने की नीयत से छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती पुत्री के कपड़े फाड़ कर निर्वस्त्र कर दिया। चीख पुकार पर कुछ लोग व अचानक प्रार्थिया व उसका बेटा कृष्ण लौटकर बाजार से वापस आ गये, तो लकी घर से निकल कर, यह कहते हुए भाग गया कि थाने गयी तो अच्छा नहीं होगा। प्रार्थिया रिपोर्ट करने के लिए थाने जाने लगी तो लकी के भाई शिवम, प्रिंस व अमन ने घर में घुसकर बुरी-बुरी गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी व सामान तोड़ फोड़ करते हुए कहा कि थाने गयी तो रास्ते में तेरी हत्या कर देंगे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर आ गयी, अमन को पकड़ कर थाने ले गयी और कुछ देर बाद छोड़ दिया। प्रार्थिया की थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थिया बाल्मीक जाति की है। प्रार्थिया ने घटना की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को जरिए डाक प्रेषित की, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब मजबूरन न्यायालय में अपना यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रही है।



Digitally signed by Vijay Kumar Azad
Date: 2023.07.04 16:39:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गई, जिसमें यह कहा गया है कि आवेदिका तथा विपक्षीगण एक ही मुहल्ले के रहने वाले हैं तथा एक-दूसरे का मकान आपस में सटा हुआ है। आवेदिका अपने घर के सामने खुला हुआ कूड़ा डाल देती है, जो फेल कर, उड़ कर विपक्षीगण के घर के सामने आ जाता है, जिसके संबंध में पूर्व में कई बार आवेदिका एवं विपक्षीगण में वाद-विवाद तथा आपस में राजीनामा भी हो चुका है। आवेदिका द्वारा अपने मकान के सामने पुनः कूड़ा डाल दिया गया, जिसकी शिकायत विपक्षीगण की माँ श्रीमती विरला देवी द्वारा दिनांक 16-05-2023 को आवेदिका से की गयी, जिसको लेकर आपस में वाद-विवाद हो गया, जिसके संबंध में विपक्षीगण द्वारा 112 नम्बर पर भी कॉल किया गया। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित दिनांक 18-05-2023 की घटना के संबंध में जाँच की गयी तो पाया गया कि विपक्षी लकी पुत्र हाकिम सिंह दिनांक 18-05-2023 को घर से सुबह 07:00 बजे निकल कर रात्रि 09:00 बजे घर वापस आया है तथा दिन में श्री अजय कुमार जैन के चूड़ी के गोदाम दुर्गा नगर, गली नं०-6, थाना रसूलपुर क्षेत्र में काम किया है। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप असत्य व निराधार पाये गये हैं। आवेदिका झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहती है। उपरोक्त के संबंध में थाना हाजा पर कोई अपराध पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रेषित शिकायती पत्र, मूल रजिस्ट्री रसीद, जनसुनवाई प्रपत्र व स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति, दाखिल किये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18-05-2023 को समय 07:00 बजे शाम, जब प्रार्थिया व उसका बेटा घर पर नहीं थे, तभी प्रार्थिया का पड़ोसी लकी पुत्र हाकिम सिंह ने प्रार्थिया के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री राज कुमारी, उम्र करीब 15 को उसके साथ बुरा काम करने की नीयत से छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ कर निर्वस्त्र कर दिया। चीख पुकार पर कुछ लोग व अचानक प्रार्थिया व उसका बेटा कृष्ण आ गये, तो लकी घर से निकल कर भाग गया। प्रार्थिया रिपोर्ट करने के लिए थाने जाने लगी तो लकी के भाई शिवम, प्रिंस व अमन ने घर में घुसकर बुरी-बुरी गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी व सामान तोड़ फोड़ करते हुए कहा कि थाने गयी तो रास्ते में तेरी हत्या कर देंगे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर आ गयी, अमन को पकड़ कर थाने ले गयी और कुछ देर बाद छोड़ दिया।

थाना रामगढ़ की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका तथा विपक्षीगण एक ही मुहल्ले के रहने वाले हैं तथा एक-दूसरे का मकान आपस में सटा हुआ है। आवेदिका अपने घर के सामने खुला हुआ कूड़ा डाल देती है, जो फेल कर, उड़ कर विपक्षीगण के घर के सामने आ जाता है, जिसके संबंध में पूर्व में कई बार आवेदिका एवं विपक्षीगण में वाद-विवाद तथा आपस में राजीनामा भी हो चुका है। आवेदिका द्वारा अपने मकान के सामने पुनः कूड़ा डाल दिया गया, जिसकी शिकायत विपक्षीगण की माँ श्रीमती विरला देवी द्वारा

दिनांक 16-05-2023 को आवेदिका से की गयी, जिसको लेकर आपस में वाद-विवाद हो गया, जिसके संबंध में विपक्षीगण द्वारा 112 नम्बर पर भी कॉल किया गया। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित दिनांक 18-05-2023 की घटना के संबंध में जाँच की गयी तो पाया कि विपक्षी लकी पुत्र हाकिम सिंह दिनांक 18-05-2023 को घर से सुबह 07:00 बजे निकल कर रात्रि 09:00 बजे घर वापस आया है तथा दिन में श्री अजय कुमार जैन के चूड़ी के गोदाम दुर्गा नगर, गली नं०-6, थाना रसूलपुर क्षेत्र में काम किया है। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप असत्य व निराधार पाये गये हैं। आवेदिका झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदिका व विपक्षीगण के मध्य कूडा डालने को लेकर पूर्व से वाद-विवाद होता चला आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया पूर्व वाद-विवाद के कारण विपक्षीगण पर दबाव बनाने की गरज से अपनी पुत्री को घटना में शामिल करते हुए झूठा मुकदमा धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज कराना चाहती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि विपक्षीगण ने घर में घुसकर बुरी-बुरी गालियां देते हुए मारपीट की, लेकिन उक्त मारपीट से प्रार्थिया, उसकी पुत्री व पुत्र के शरीर पर कोई चोटें आयी हों, इस संबंध में कोई भी आहत आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० पोषणीय नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांक 04-07-2022

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010098092023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-0000994/2023
श्रीमती लक्ष्मी बनाम आकाश एवं पाँच अन्य।

दिनांक 22-11-2023

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश में नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०

प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी की ओर से विपक्षीय आकाश पुत्र बल्लो, नरेश पुत्र भगवान सरन, श्रीमती सीतू पत्नी पिन्टू, श्रीमती सीमा पत्नी नरेश कुमार, पिन्टू एवं संजू पुत्रगण भगवान सरन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा - 156(3) दं०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया के पति के पैर में फ्रेक्चर होने के कारण प्लेटें पड़ी हैं तथा उनके आँखों की रोशनी भी चली गई है, जिस कारण दिखाई नहीं देता है। दिनांक 28-10-2023 को समय करीब 02:00 बजे दोपहर प्रार्थिया की गाय दरवाजे पर बंधी हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाले नरेश ने प्रार्थिया की गाय के पैरों में प्लास्टिक के पाइप से चोटे मारी, जिससे उसका पैर सूज गया, जिसकी शिकायत जब प्रार्थिया ने नरेश की पत्नी सीमा से की तो सीमा बुरा मान गयी। दिनांक 31-10-2023 को नरेश का भतीजा आकाश, प्रार्थिया के घर में घुस आया। उस समय घर पर प्रार्थिया की पुत्री ईशू, उम्र करीब 10 वर्ष अकेली थी, तभी उसने प्रार्थिया की पुत्री के साथ मारपीट की तथा जमीन पर गिराकर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें की। पुत्री के चिल्लाने पर आकाश भाग गया। घर लौटने पर पुत्री ने प्रार्थिया को यह बात बताई तो प्रार्थिया ने इसकी शिकायत की, जिस पर श्रीमती सीतू, सीमा, पिन्टू, नरेश, संजू व आकाश ने प्रार्थिया के साथ घर में घुस कर मारपीट की, जिससे प्रार्थिया को अन्दरूनी चोटें आयीं। आसपास के लोगों ने प्रार्थिया को बचाया। प्रार्थिया ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तब प्रार्थिया ने एस०एस०पी०, फिरोजाबाद को तहरीर बजरिए रजिस्ट्री भेजी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थिया न्यायालय की शरण में आयी है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाना दक्षिण से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी के पति व अन्य पाँच के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं०-709/2023, धारा-147, 323, 504, 506, 452 भा०दं०सं० पंजीकृत है तथा उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, थाना प्रभारी, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद एवं प्रार्थिया स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति, दाखिल किये हैं।

प्रार्थिया ने, विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31-10-2023 को प्रार्थिया के घर में घुस कर प्रार्थिया के साथ मारपीट करना, जिससे प्रार्थिया को अन्दरूनी चोटें आना एवं विपक्षी आकाश द्वारा प्रार्थिया की पुत्री ईशू, उम्र करीब 10 वर्ष के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करना कहा है, परन्तु उक्त के संबंध में प्रार्थिया ने कोई साक्ष्य /चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। थाना दक्षिण से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका के पति एवं पाँच अन्य के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं०-709/2023, धारा-147, 323, 504, 506, 452 भा०दं०सं० पंजीकृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका अपने पति के विरुद्ध पंजीकृत उक्त मुकदमे के कारण, विपक्षीगण पर दबाव बनाने की गरज से अपनी पुत्री को घटना में शामिल करते हुए झूठा मुकदमा धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज कराना चाहती है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार (फौजदारी) दाखिल की जाये।

दिनांक 22-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010098812023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-0000997/2023
सुधा बनाम कुनाल बाल्मीक एवं दो अन्य।

दिनांक 18-11-2023

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०

प्रार्थिया सुधा की ओर से विपक्षीगण कुनाल बाल्मीक, संगीता व धर्मवीर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया, भोजपुरा, स्टेशन रोड़, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद की रहने वाली है। घटना दिनांक 30-10-2023 को समय करीब 08:00 बजे रात्रि की है। मैं अपनी दोनों नाबालिग पुत्री शिवानी व गुनगुन के साथ, बाल्मीक जयन्ती देखकर घर लौट रही थी, तो कुनाल बाल्मीक पीछा करते हुए मेरे घर के अन्दर जबरन घुस आया और मेरी पुत्री शिवानी के साथ बदनीयती से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका पुत्री शिवानी ने विरोध किया और शिवानी की आवाज सुनकर मैं व मेरी पुत्री गुनगुन नीचे आये और किसी प्रकार कुनाल के चंगुल से अपनी पुत्री को बचाया। शोर किया तो मौहल्ले वालों को आता देख कुनाल जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की शिकायत मैंने कुनाल की माँ संगीता एवं पिता धर्मवीर से की तो उक्त लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि हमारा लडका कुनाल तो ऐसा ही करेगा। मैं घटना की शिकायत करने थाने पहुंची तो थाना पुलिस ने कार्यवाही करने से मना कर दिया। मैंने दिनांक 01-11-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र भेजा, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थिया न्यायालय की शरण में आयी है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाना दक्षिण से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका व विपक्षी कुनाल बाल्मीक के मध्य, बाल्मीक जयन्ती जुलूस निकलने को लेकर कहा सुनी हो गयी थी, जिसमें दोनों पक्षों को शान्त करा दिया गया था। इसके बाद अन्य किसी प्रकार की कोई बात होने की

पुष्टि नहीं हुई। आवेदिका द्वारा बढ़ा चढ़ा कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को भेजे गये शिकायती प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद की फोटो प्रति एवं प्रार्थिया स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति, दाखिल किये हैं।

प्रार्थिया ने, विपक्षी कुनाल द्वारा दिनांक 30-10-2023 को समय करीब 08:00 बजे रात्रि आवेदिका के घर के अन्दर जबरन घुस कर उसकी नाबालिग पुत्री शिवानी के साथ बदनीयती से छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने एवं इसकी शिकायत कुनाल के माता पिता से करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना कहा है, परन्तु उक्त के संबंध में प्रार्थिया ने कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। थाना दक्षिण से प्राप्त आख्यानसार आवेदिका व विपक्षी कुनाल के मध्य, बाल्मीक जयन्ती जुलूस निकलने के संबंध में मामूली विवाद होना कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका ने बाल्मीक जयन्ती जुलूस निकलने के संबंध में हुए विवाद के कारण, विपक्षीगण पर दबाव बनाने की गरज से अपनी पुत्री को घटना में शामिल करते हुए झूठा मुकदमा धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज कराना चाहती है। उपरोक्त तथ्य , परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा -156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थिया सुधा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार (फौजदारी) दाखिल की जाये।

दिनांक 18-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010095042023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-0000943/2023
श्रीमती परमीला बनाम प्रदीप।

दिनांक 16-11-2023

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश में नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०

प्रार्थिया श्रीमती परमीला की ओर से विपक्षी प्रदीप के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया एक सीधी साधी घरेलू महिला है। दिनांक 24-10-2023 को समय करीब 11:00 बजे रात्रि प्रार्थिया एवं उसकी पुत्री सपना, उम्र करीब 14 वर्ष घर पर अकेली सो रही थीं, प्रार्थिया का पति अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में गया हुआ था। मौका पाकर गाँव का ही प्रदीप पुत्र भरत सिंह रात्रि में आया और प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार करने लगा। प्रार्थिया की पुत्री जब चीखने लगी, तभी प्रार्थिया की चीख पुकार पर प्रदीप गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया और कहा कि यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार दूंगा। प्रार्थिया थाने रिपोर्ट करने गयी तो प्रार्थिया की रिपोर्ट नहीं लिखी। प्रार्थिया ने दिनांक 25-10-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद व उच्च अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाइन प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थिया न्यायालय की शरण में आयी है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाना टूण्डला से प्राप्त आख्या के अनुसार वादिया के पुत्र एवं पति के विरुद्ध विपक्षी प्रदीप के पिता भरत सिंह द्वारा थाना टूण्डला पर मु०अ०सं०-383/2022, धारा-363, 366, 368 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था। उपरोक्त मुकदमा में राजीनामा हेतु दबाव बनाने के लिए प्रार्थिया/वादिया द्वारा झूठा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।



Digitally signed by Vijay Kumar Azad
Date: 2023.11.22 12:37:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को भेजे गये शिकायती प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद की फोटो प्रति एवं प्रार्थिया स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति, दाखिल किये हैं।

प्रार्थिया ने, विपक्षी प्रदीप द्वारा दिनांक 24-10-2023 को समय करीब 11:00 बजे रात्रि उसकी पुत्री सपना, उम्र करीब 14 वर्ष के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार करना तथा विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना कहा है, परन्तु उक्त के संबंध में प्रार्थिया ने कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। थाना टूण्डला से प्राप्त आख्यानानुसार आवेदिका के पुत्र एवं पति के विरुद्ध विपक्षी प्रदीप के पिता भरत सिंह द्वारा थाना टूण्डला पर मु०अ०सं०-383/2022, धारा-363, 366, 368 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका अपने पुत्र व पति के विरुद्ध पंजीकृत उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के कारण, विपक्षी पर दबाव बनाने की गरज से अपनी पुत्री को घटना में शामिल करते हुए झूठा मुकदमा धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज कराना चाहती है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती परमीला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार (फौजदारी) दाखिल की जाये।

दिनांक 16-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010100692023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) /
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
 फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-0001011/2023
 श्रीमती संगीता बनाम दिन्नू।

दिनांक 13-12-2023

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश में नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं०

प्रार्थिया संगीता की ओर से विपक्षी दिन्नू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया मौहल्ला भोजपुरा, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद की रहने वाली है। घटना दिनांक 09-09-2023 को रात 08:30 बजे प्रार्थिया अपने छोटे पुत्र अजीत को दवा दिलाने डाक्टर के पास गयी थी, तभी प्रार्थिया के घर पड़ोस में रहने वाला दिन्नू पुत्र बोबी जबरन प्रार्थिया के घर में घुस आया और प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री कु० रागिनी, उम्र करीब 17 वर्ष, जो छत पर रसोई घर में थी, को जबरदस्ती पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा तथा चाकू दिखाकर कहने लगा कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। प्रार्थिया की पुत्री बचकर भागना चाहती थी, तो उसने चाकू से उसे घायल कर दिया। रागिनी की चीख पुकार सुनकर प्रार्थिया का बड़ा पुत्र कुनाल छत पर गया तो दिन्नू, कुनाल को देखकर, गाली गलौज करते हुए भाग गया। उक्त घटना में प्रार्थिया की पुत्री रागिनी को चोटें आईं। प्रार्थिया घटना की रिपोर्ट करने थाने गयी तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसके बाद प्रार्थिया ने एक लिखित प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को भेजा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थिया न्यायालय की शरण में आयी है। अतः सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाना दक्षिण से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक विधि व्यवस्था में कहा है कि -

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री

रसीद की फोटो प्रति, प्रार्थिया संगीता व विपक्षी दिन्नू के मध्य हुए समझौता की फोटो प्रति एवं प्रार्थिया स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति, दाखिल किये हैं।

प्रार्थिया ने, विपक्षी द्वारा दिनांक 09-09-2023 को रात 08:30 बजे जबरन प्रार्थिया के घर में घुस कर उसकी नाबालिग पुत्री कु० रागिनी, उम्र करीब 17 वर्ष, जो छत पर रसोई घर में थी, को जबरदस्ती पकड़ अश्लील हरकतें करना तथा चाकू दिखाकर उसकी पुत्री के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करना, विरोध करने पर जान से मार देना तथा प्रार्थिया की पुत्री के बचकर भागने पर चाकू से उसे घायल कर देना एवं पुत्री रागिनी की चीख पर गाली गलौज करते हुए भाग जाना और उक्त घटना में प्रार्थिया की पुत्री रागिनी को चोटें आना कहा है, परन्तु उक्त के संबंध में प्रार्थिया ने कोई साक्ष्य/चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र एवं फेहरिस्त के साथ दाखिल, दोनों पक्षों के मध्य थाने में हुए समझौते के प्रपत्र दाखिल किये हैं, जिनमें यह अंकित है कि आज दिनांक 12-09-2023 को हम दोनों पक्षों के मध्य भले लोगों द्वारा समझौता करा दिया गया है। प्रार्थनापत्र में घटना दिनांक 09-09-2023 की दर्शित की गयी है और दोनों पक्षों के मध्य समझौता दिनांक 12-09-2023 को हो चुका है, इसके उपरान्त प्रार्थिया ने लगभग दो माह बाद दिनांक 16-11-2023 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया पुनः विपक्षी पर दबाव बनाने अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से अपनी पुत्री को घटना में शामिल करते हुए झूठा मुकदमा धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज कराना चाहती है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती संगीता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार (फौजदारी) दाखिल की जाये।

दिनांक 13-12-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।